



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:41086-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 5610/2026

सावित्री देवी एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- रामा कान्त दीक्षित, अमित कुमार

दीक्षित

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता, पवन कुमार

मिश्रा

न्यायालय संख्या. - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत याचिका निम्नवत् मुख्य अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“(i) उत्प्रेषण प्रकृति की एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकार संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज कराई गई आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.03.2026, जो वाद अपराध संख्या 108 /2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338 एवं 336(3) तथा तत्समक भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 419, 420, 467 एवं 468 के अन्तर्गत थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच में पंजीकृत है तथा जो इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, को निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश प्रकृति की एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 3 को यह निर्देशित किया जाए कि वे विरोधी पक्षकार संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.03.2026, जो वाद अपराध संख्या 108 /2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338 एवं 336(3) तथा तत्समक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467 एवं 468 के अन्तर्गत थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच में पंजीकृत है, के अनुसरण में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न किया जाए।”

3. कुछ विस्तार से बहस करने के पश्चात्, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि उन्हें यह रिट याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए, साथ ही याचिकाकर्तागण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता”) की धारा 482 के अधीन उपलब्ध उपचार का अवलम्बन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

उद्धृत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 को निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:-

“482. अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे किसी गैर-जमानतीय अपराध के किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और वह न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(2) जब उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश देता है, तो वह संबंधित मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देश में ऐसी शर्तें सम्मिलित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे, जिनमें निम्नवत् शर्तें भी सम्मिलित हैं:-

(i) यह शर्त कि संबंधित व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ किए जाने के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) यह शर्त कि संबंधित व्यक्ति, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

(iii) यह शर्त कि संबंधित व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

(iv) ऐसी अन्य शर्त, जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, मानो जमानत उस धारा के अधीन प्रदान की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उक्त आरोप के आधार पर किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और वह गिरफ्तारी के समय अथवा ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा और यदि ऐसे अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्णय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप जमानतीय वारंट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात ऐसे किसी मामले पर लागू नहीं होगी, जिसमें किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 तथा धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन अपराध किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना हो।

4. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

5. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्तागण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अधीन समुचित आवेदन प्रस्तुत करके सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की शरण लेते हैं, तो ऐसे आवेदन पर विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक विचार कर उसका निस्तारण किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

जून 15, 2026

अरविंद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।